न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 445/2025

अपीलांट	वनाम	रेस्पोडेन्ट
गोकलराम पुत्र सोनाराम जाट निवासी पुनियों की प्याऊ, तहसील व जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2023 दिनांक 13.07.2023

उपस्थिति –
1. श्री कानाराम गोदारा,वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहियाराजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक. 10 .12.2025

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.23 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर के पत्र कमांक 17 दिनांक 24.06.2023 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम राजवा के खसरा नम्बर 271/1, 274/1, 275, 276 की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किए गये, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि शिविर प्रभारी ग्रा0पं0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पोपावास के समक्ष प्रार्थी भंवराराम पुत्र गेपराराम ने दिनांक 23.6.23 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम राजवा के ख0नं0 270, 271, 274, 275 व 276 में आम रास्ता (जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है), लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से रेकर्ड में दर्ज करवाने का आग्रह किया गया, जिस पर सरपंच ग्रा0पं0 पोपावास के भी हस्ताक्षर है। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में हल्का पटवारी ने मौका फर्द दिनांक 24.6.21 एवं ग्रा0पं0 पोपावास के प्रस्ताव दिनांक 5.6.23 के साथ तहसीलदार जोधपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे तहसीलदार जोधपुर के पत्रांकः राजस्व/भू.अ./प्र.गा.सं.अभि./2023/17 दिनांक 24.6.23 द्वारा मंहगाई राहत केम्प–पोपावास में शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

अपीलांट ग्राम राजवा के ख0नं0 275 व 276 के रेकर्डेड खातेदार है, जिसे नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही कोई सहमति ली गई। अपीलाधीन आदेश में जहां नक्शें में रास्ता बताया गया है वहां ख0नं0 276 में अपीलांट के पक्के मकान बने हुए है, इससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। मौके पर रास्ता चलायमान नही है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही तहसीलदार जोधपुर के आवेदन/प्रस्ताव पर की गई हैं, जिसमें अपीलांट/संबंधित खातेदारों को सुनवाई का अवसर नही दिया गया।

हस्तगत अपील में तहसीलदार जोधपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जो तहसीलदार जोधपुर के पत्रांकः रीडर/2025/934 दिनांक 21.11.2025 द्वारा प्रस्तुत हुई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्टतः उल्लेखित है कि प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 275 व 276 की माठ पर किया गया है, मौके पर प्रस्तावित रास्ते पर मकान बना हुआ है तथा मौके पर चल रहे रास्ते एवं प्रस्तावित रास्ते में भिन्नता है।" जिसका नजरी नक्शा रिपोर्ट के साथ

10/12
संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रस्तुत किया गया। उक्त स्थिति में ग्राम राजवा के अपीलाधीन ख0नं0 275 व 276 की हद तक अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2023 को अपीलांट के खसरा नम्बर 275 व 276 की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों/सह–खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उनकी उपस्थिति में मौके पर प्रचलित/कदिमी रास्ते का सत्यापन करवाकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

10/12/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर